सिविल अपील वाद सं० 317/16
प्रहलाद सिह बनाम कृपाल सिंह
रजि. सं. 01/23

<u>दिनांक 06.01.2025</u>

पत्रावली पेश हुयी। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.03.2024 को 50 ग संशोधित के क्रमक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2024 को वापस किये जाने का कथन किया गया है। आज प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2024 जो संशोधित क्रमांक 48 ग है उसे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस किया गया। अस्तु प्रार्थना पत्र 48 ग, व 50 ग के अनुक्रम में नोट प्रेस किये जाने के कारण तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र 51 ग दिनांक 20.03.2024 को संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र पर आपत्ति कागज सं.53 ग संलग्न पत्रावली है। पुनः अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 57 ग अपने प्रार्थना पत्र दिनांकित 20.03.2024 जो 54 प्रार्थना पत्र है में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है, 57 ग प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति लिखित में दाखिल नहीं किया गया है। मौखिक रूप से विरोध किया जा रहा है। अस्तु प्रार्थना पत्र 57 ग मु० 500/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 57 ग मु० 500/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अदायगी पश्चात प्रार्थना पत्र 51 ग में संशोधन अंदर सप्ताह करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना पत्र 51 ग दिनांक 27.01.2025 को पेश हो।

(हीरा लाल -III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-2, गाजियाबाद।